राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1833/2025

पूनम सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर उप जिला चिकित्सालय, खेतडी, जिला झुन्झुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी मनोज नून का स्थानान्तरण क्रम संख्या–81 पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ, चूरू से राजकीय उप जिला चिकित्सालय, खेतडी, झुन्झुनू में मुनेश कुमारी के स्थान पर किया गया है और निजी प्रत्यर्थी मुनेश कुमारी का स्थानान्तरण क्रम संख्या–82 पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय, खेतडी, झुन्झुनू से राजकीय उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ, चूरू में मनोज नून के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि इसी आलोच्य आदेश में क्रम संख्या–382 पर मनोज नून का स्थानान्तरण राजकीय उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ, चूरू से राजकीय उप जिला अस्पताल, खेतडी, जिला झुन्झुनू में अपीलार्थी पूनम सैनी के स्थान पर किया गया है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उप जिला अस्पताल खेतडी, जिला झुन्झुनू से राजकीय

उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ, चूरू में मनोज नून के स्थान पर किया गया है। इस प्रकार मनोज नून के स्थान पर दो कार्मिकों का स्थानान्तरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) में नोट संख्या–5 में यह अंकित किया गया है कि ''किसी कार्मिक का एक से अधिक स्थानों पर/एक से अधिक सूची में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।'' अतः उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का जिस स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, वहां एक अन्य कार्मिक मुनेश कुमारी का भी स्थानान्तरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष